रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2002/पौष 12, 1923
No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2002/PAUSA 12, 1923

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 29 नवम्बर, 2001

सं. फेमा 46/2001-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर रहने वाले किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001

सा. का. नि. 4(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आर बी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर रहने वाले किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, यथा :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. (i) इन विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर रहने वाले किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001 कहा जायेगा।

(ii) ये तत्काल लागू होंगे।

विनियमावली में संशोधन :

2 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर रहने वाले किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में ("इसके बाद" "प्रमुख विनियमावली" के रूप में उल्लिखित) विनियम 5 में उप-विनियम (3) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(3) (i) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) "संविभाग निवेश योजना" के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंज पर किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को अनुसूची 3 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन खरीद सकते हैं बशर्ते कि अनिवासी भारतीय "प्रिंट मिडिया क्षेत्र" में लगी हुई किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीद नहीं सकेंगे।

(ii) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय "संविभाग निवेश योजना" के अंतर्गत के सिवाय अप्रत्यावर्तन आधार पर किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को अनुसूची 4 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन खरीद सकते हैं बशर्ते कि "प्रिंट मिडिया क्षेत्र" में लगी हुई किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीद नहीं सकेंगे।"

अनुसूची 3 में संशोधन :

3. प्रमुख विनियमावली की अनुसूची 3 में :

(i) शीर्षक में "अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकाय" (एनआरआइ/ओबीसी) शब्दों के लिए "अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)" शब्द प्रतिस्थापित करें :

(ii) पैरा 1 में ;

(क) "अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकाय", "अनिवासी भारतीय या विदेशी कंपनी निकाय" और "अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशी कंपनी निकायों" शब्दों के लिए क्रमश: अनिवासी भारतीय और अनिवासी भारतीयों शब्दों को प्रतिस्थापित करें :

(ख) "अथवा विदेशी कंपनी निकाय (ओसीबी) शब्दों को हटा दिया जाये;"

(ग) उप पैरा (i) में "उनका/उसके" शब्दों के लिए "उनका" शब्द प्रतिस्थापित करें;

(घ) उप पैरा (vii) हटा दिया जाये।

(iii) पैरा 2 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित करें; यथा :—

"पैरा 1 में उल्लिखित किसी प्राधिकृत व्यापारी के नामोदिष्ट शाखा के संपर्क कार्यालय को उनके द्वारा किये गये संविभाग निवेश योजना पर प्रतिदिन आधार पर एक रिपोर्ट मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार के रिपोर्ट **ऑन लाईन** पर अथवा फ्लॉपी में अथवा रिजर्व बैंक द्वारा आपूर्तित फार्मेट में हार्ड कापी में प्रस्तुत किया जाये।

[सं. 1/23/ई सी/2000]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th November, 2001

No. FEMA 46/2001-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2001

G.S.R. 4(E) .— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, namely :—

Short title and commencement :—

1 (i) These Regulation may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2001.

(ii) They shall come into force with immediate effect.

Amendment of the Regulations :—

2 In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"),

In Regulations 5, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely .—

"(3) (i) A Non-resident Indian (NRI) may purchase shares or convertible debentures of an Indian Company on a Stock Exchange under Portfolio Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 3, provided that the NRI shall not purchase shares or convertible debentures of an Indian Company which is engaged in Print Media sector.

(ii) A non-resident Indian or an Overseas Corporate Body may purchase shares or convertible debentures of an Indian company on non-repatiation basis other than under Portfolio Investment Scheme subject to the terms and conditions specified in Schedule 4, provided that NRI or OCB shall not purchase shares or convertible debentures of an Indian Company which is engaged in Print Media sector."

Amendment of Schedule 3—

3 In Schedule 3 to the Principal Regulations,—

(i) In the Heading, for the words "NRI/OCB", the word "NRI" shall be substituted;

(ii) in paragraph 1,

(a) for the words "NRI/OCB", "NRI or OCB", and "NRIs or OCBs wherever they occur, the words "NRI", "NRI" and "NRIs" repectively shall be substituted;

(b) the words "or an Overseas Corporate Body (OCB)" shall be omitted;

(c) in sub-paragraph (i), for the words "his/its, the words "his" shall be substituted,

(d) sub-paragraph (vii) shall be omitted;

(iii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"The link office of the designated branch of an authorised dealer referred to in paragraph 1 shall furnish to the Chief General Manager, RBI, ECD, Central Office, Mumbai, a report on daily basis on PIS transactions undertaken by it, such report to be furnished on line or on floppy or in hard copy in a format supplied by Reserve Bank".

[No. 1/23/EC/2000]

K J UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 5 दिसम्बर, 2001

सं. फेमा 47/2001 आरबी

सा. का. नि. 5(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (ख) की धारा 47 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 10/2000 आरबी के आंशिक संशोधन करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2001 कहा जायेगा।

(ii) ये तत्काल लागू होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता) विनियमावली, 2000 में विनियम 7 में उपविनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाये, यथा;

"(4क) भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई फर्म अथवा कोई कम्पनी अथवा कोई कम्पनी निकाय (इसके बाद "भारतीय सत्व" के रूप में उल्लिखित) भारत के बाहर स्थापित उसके कार्यालय (व्यापारी अथवा गैर व्यापारी) अथवा उसकी शाखा अथवा भारत के बाहर नियुक्त उसके प्रतिनिधि के नाम पर भारत के बाहर किसी बैंक के पास कार्यालय/शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य कारोबार चलाने के प्रयोजनार्थ भारत से विप्रेषण करने के लिए विदेशी करेन्सी खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है अथवा रख सकता है;

बशर्ते कि—

(क) भारती सत्व के सामान्य कारोबार गतिविधियां चलाने के लिए विदेशी शाखा/कार्यालयों को स्थापित किया है अथवा प्रतिनिधि को नियुक्त किया है ;

(ख) इस उप विनियम के अंतर्गत भारतीय सत्व द्वारा किए गए कुल विप्रेषण ऐसे सभी लेखों के लिए किसी लेखा वर्ष में निम्नलिखित से अधिक नहीं होने चाहिए :

(i) भारतीय सत्व के पिछले दो लेखा वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री/आय अथवा पण्यावर्त का 2 प्रतिशत, जहां विप्रेषण शाखा अथवा कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के लिए किया है,

और

(ii) ऐसी औसत वार्षिक बिक्री/आय अथवा पण्यावर्त का एक प्रतिशत जहां विप्रेषण शाखा अथवा कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया है;

(ग) विदेशी शाखा/कार्यालय/प्रतिनिधि को अधिनियम, नियमों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में कोई भी संविदा अथवा करार नहीं करना चाहिए;

(घ) यथा खोले गए, धारित अथवा रखे गए खाते बंद होने चाहिए :

(अ) यदि विदेशी शाखा/कार्यालय खाता खोलने के छः माह के भीतर स्थापित नहीं हुआ है,

(आ) विदेशी शाखा/कार्यालय के बंद होने के एक माह के भीतर, अथवा

(इ) जहां छः माह के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया है;

और खाता में धारित शेष भारत को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए,

बशर्ते इसके अधिक यह है कि प्रथम परंतुक के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट प्रतिबंध इन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां—

(i) इस उप-विनियम के अधीन रखे गए खाता के लिए विप्रेषण भारतीय सत्व के ईईएफसी खाता में धारित निधियों में से किया गया है, अथवा

(ii) किसी निर्यात प्रोसेसिंग जोन में अथवा किसी हार्डवेअर प्रौद्योगिकी पार्क में अथवा किसी साफ्टवेअर प्रौद्योगिकी पार्क में किसी शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख ईकाई अथवा किसी ईकाई द्वारा ईकाई की स्थापना के दो वर्षों के भीतर विदेशी शाखा/कार्यालय स्थापित है अथवा प्रतिनिधि नियुक्त है।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ,

(क) विदेशी शाखा/कार्यालय/प्रतिनिधि का सामान्य कारोबार चलाने के लिए अपेक्षित कार्यालय उपस्करों अथवा अन्य आस्तियों की खरीदी अथवा अभिग्रहण को किसी पूंजीगत खाता लेनदेन के रूप में समझा नहीं जाएगा;

(ख) पट्टा जो पांच वर्षों से अधिक नहीं है को छोड़कर विदेशी शाखा/कार्यालय/प्रतिनिधि द्वारा भारत के बाहर अचल संपत्ति के अंतरण अथवा अभिग्रहण विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण अथवा अंतरण) विनियमावली, 2000 के अधीन होगा।

[सं. 1/23/ई सी/2000]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th December, 2001

No. FEMA 47/2001-RB

G.S.R. 5(E) — In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section(2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No FEMA 10/2000-RB dated 3rd May, 2000, Reserve Bank of India, makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, namely :—

1 (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2001

(ii) They shall come into force with immediate effect.

2. In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, in Regulation 7, after sub-regulation(4), the following sub-regulation shall be inserted, namely :

"(4A) A firm or a company or a body corporate registered or incorporated in India (hereinafter referred to as 'the Indian entity') may open, hold and maintain in the name of its office (trading or non-trading) or its branch set up outside India or its representative posted outside India, a foreign currency account with a bank outside India by making remittances from India for the purpose of normal business operations of the office/branch or representative;

Provided that—

(a) the overseas branch/office has been set up or representative is posted overseas for conducting normal business activities of the Indian entity;

(b) the total remittances made under this sub-Regulation by the Indian entity, to all such accounts in an accounting year shall not exceed .

(i) 2 per cent of the average annual sales/income or turnover during last two accounting years of the Indian entity, where the remittances are made to meet initial expenses of the branch or office or representative, and

(ii) 1 per cent of such average annual sales/income or turnover where the remittances are made to meet recurring expenses of the branch or office or representative,

(c) the overseas branch/office/representative shall not enter in any contract or agreement in contravention of the Act, Rules or Regulations made thereunder;

(d) the account so opened, held or maintained shall be closed,

(a) if the overseas branch/office is not set up within six months of opening the account,or

(b) within one month of closure of the overseas branch/office, or

(c) where no representative is posted for six months,

and the balance held in the account shall be repatriated to India :

Provided further that the restriction contained in clause (b) of the first proviso shall not apply in a case where—

(a) the remittances to the account maintained under this sub-Regulation are made out of funds held in EEFC account of the Indian entity, or

(b) the overseas branch/office is set up or representative posted by a 100% EOU or a unit in EPZ or in a Hardware Technology Park or in a Software Technology Park, within two years of establishment of the Unit.

Explanation : For the purpose of this sub-Regulation,

(A) Purchase or acquisition of office equipments and other assets required for normal business operations of the overseas branch/office/representative will not be deemed as a capital account transaction;

(B) Transfer or acquisition of immovable property outside India, other than by way of lease not exceeding five years, by the overseas branch/office/representative will be subject to the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property outside India) Regulations, 2000".

[No 1/23/EC/2000]

K. J. UDESHI, Executive Director

1961/2002—2

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054